संख्या–166/2016/XXVII-8/03(120)/2013

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून दिनांकः २० फरवरी,2016

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य में बिल्डर्स/डेवलपर्स द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में एकमुश्त समाधान राशि दिये जाने से सम्बन्धित समाधान योजना में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2911/आयु0कर0उत्तरा0/विधि0–अनु0/2015–16/देहरादून, दिनांक 05 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में बिल्डर्स/डेवलपर्स द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय कर के विकल्प के रूप में एकमुश्त समाधान राशि दिये जाने से सम्बन्धित समाधान योजना के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या–149, दिनांक 23 जुलाई, 2015 के प्रस्तर–3(ख) तथा प्रस्तर–6(ख) में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2015 के प्रस्तर–3(ख) तथा प्रस्तर–6(ख) को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

<u>प्रस्तर 3(ख)</u>:– का 3 प्रतिशत, प्रदेश के बाहर से अंशतः अथवा पूर्णतः माल की खरीद करते हुए प्रदेश में निर्माण किए जा रहे परिसम्पत्ति में इनका अन्तरण किए जाने की दशा में, समाधान राशि होगी;

या

प्रदेश के बाहर से अंशतः अथवा पूर्णतः माल की खरीद करते हुए प्रदेश में निर्माण किए जा रहे परिसम्पत्ति में इनका अन्तरण किए जाने की दशा में आयातित माल के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नियत मूल्य पर नियमानुसार कर जमा किया जायेगा। प्राप्त कुल धनराशि में ऐसी धनराशि को घटाने के उपरान्त शेष धनराशि पर 1 प्रतिशत समाधान राशि निर्धारित होगी।

<u>प्रस्तर 6(ख)</u>:– ऐसे पंजीकृत/अपंजीकृत/TDAN धारक "बिल्डर्स/डेवलपर्स", जिनका योजना लागू होने के पूर्व के वर्षों के लिए अन्तिम कर निर्धारण अभी शेष है, एवं अपंजीकृत/TDAN धारक "बिल्डर्स/डेवलपर्स" द्वारा योजना लागू होने के उपरान्त पंजीयन (TIN) प्राप्त कर लिया गया है, भी यह योजना लागू होने के 90 दिन के अन्दर समाधान योजना हेतु विकल्प दे सकते हैं। दिनांक 01–04–2015 के पश्चात् से पूर्व की देय समाधान राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। दिनांक 01–04–2015 के पश्चात् के ऐसे मामलों में विकल्प प्रार्थना पत्र के साथ तक प्राप्त धनराशि पर समाधान शुल्क सहित जमा कराया जायेगा।

3. ऐसे पंजीकृत/अपंजीकृत/TDAN धारक "बिल्डर्स/डेवलपर्स" जिनके द्वारा पूर्व में विकल्प नहीं दिया गया हो, वे इस शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर उक्त समाधान योजना का विकल्प दे सकते हैं तथा जिन "बिल्डर्स/डेवलपर्स" के द्वारा पूर्व में उक्त समाधान योजना का विकल्प दिया जा चुका है, उनको भी उक्त निर्धारित अवधि के भीतर एक बार के लिये संशोधित विकल्प दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जा सकेगा।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 23.07.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

11756
20/02/16

विधि ....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें